

प्राप्तिय, आयुपता, उच्च शिक्षा  
**ब्लॉक-सी-३ द्वितीय एवं तृतीय तल इन्ड्रवती भवन,**  
**अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)**

—00—

क्रमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/2019  
 प्रति,

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

1. कुल सचिव,  
 समस्त विश्वविद्यालय,  
 छत्तीसगढ़।
2. प्राचार्य,  
 समस्त अग्रणी महाविद्यालय,  
 छत्तीसगढ़।

**विषय :-**

**संदर्भ :-** छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत।  
 अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17–95 / 2017 / 38–2 अटल  
 नगर रायपुर, दिनांक 24.05.2019

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा  
 छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019–20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं।  
 प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019–20 की प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

कृपया आप अपने एवं अपने अधीनस्थ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की  
 छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2019–20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन  
 करना सुनिश्चित करावें।

**संलग्न :-** उपरोक्तानुसार

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय,

अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

अटल नगर रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१९

पृ. क्रमांक/२५७०/ ८८७ /आउशि/ समन्वय/2019  
 प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ बिलासपुर/ जगदलपुर/  
 अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ।

*87/H/1/c  
 Principal  
 Govt. Mahendra Karma Girls College  
 Dantewada Distt. South Bastar (C.G.)*

*25/05/2019  
 संयुक्त संचालक  
 उच्च शिक्षा संचालनालय,  
 अटल नगर रायपुर (छ.ग.)*

छत्तीसगढ़ शासन

उच्च शिक्षा विभाग

मंत्रालयः

महानदी भवन, अटल नगर

जिला-रायपुर

-----00-----

क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/5/2019  
प्रति,

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

विषयः— छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत।

संदर्भः— आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 1077 दिनांक 06.05.2019

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित प्रस्ताव का कृपया अवलोकन करें।

2/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के लिये शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।


संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

  
(मन्दिर मंडेकर)  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 अटल नगर रायपुर, दिनांक / / 2018  
प्रतिलिपि:-

- विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- विशेष कर्तव्यरथ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग। की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
- गार्ड फाईल।

  
अवर सचिव  
छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत  
सत्र 2019-20

### १ प्रयुक्ति

- १.१ इन नियमों का उपयोग छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विभागीय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक ६ एवं ७ के प्रावधान के साथ होना। इसके द्वारा लागू होगा तथा रामरत प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।  
१.२ इन नियमों का शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कडाई से पालन करना। प्रवेश तथा आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के अन्य अवधियों प्रथम सेमेस्टर से है।

### २ प्रवेश की तिथि :-

#### २.१ प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

जनवरी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, रामरत प्रमाण कम सात अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना संकेत पत्र कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु वार्ड/विश्वविद्यालय वाले अन्तर्द्वारा प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संविधेत प्राचार्य द्वारा प्रमाणित तिथि जनवरी पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

#### २.२ प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्नातकोत्तर प्रक्रिया की छाइ से 15 जुलाई तक प्राचार्य खण्ड तथा 31 जुलाई तक कुलपति की सूचित न प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि ०१ जून से अन्य कक्षाओं हेतु १६ जून से प्रारंभ होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने के द्वारा विश्वविद्यालय/वार्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से १० दिन तक अन्य विश्वविद्यालय/वार्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से १५ दिन तक जनवरी महीने में घोषित हो जान्य होगा। कडिका ५.१ (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरण के दौरान पर विवरण की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश याहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त न होने ही सब के दारान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रत्युत्तर करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व नाम कराविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

### ३ पट्टीकरण :-

जनवरी की तिथि न किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश करना या उसके बाद उसके मालक का स्थानांतरण स्थान (ब) में हो गया, इस स्थान (ब) के दौरान प्रवेश करने में अब वह प्रवेश लगा बाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा।

स्थानान्तरण में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के रथान (ब) पर स्थानान्तरण होते हीं। स्थानान्तरण के लिए महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित जिम्मेदारी को निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

**तीसरी निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।**

- 2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-  
पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के लिए रथान के अंतिम तिथि तक सकारात्मक प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना चाहिए। इसके लिए रथान के 15 दिन तक, संविधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि सकारात्मक कक्षाओं में पश्चात् गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होगी। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

### 3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

- 3.1 नियमित रथानों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षाओं में बेटने की व्यवस्था, प्रथागतात्मा में उपलब्ध उपकरण, उपयोग योग्य सामग्री एवं रटाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्ररताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय उच्च शिक्षा विभाग रो अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कायेवाही करें।"

- 3.2 यांत्रिक रथानक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में वार कौसिल द्वारा निर्धारित काषटणों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्षण (अधिकतम 4 सेक्षण) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/संविधानी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

### 4. प्रवेश सूची :-

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि को रूचना देते हुए प्रवेश हेतु विद्यानंतर विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार लेकर नुस्खा प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, रूचना पटल पर लगाई जायगी।
- 4.2 प्रवेश रामति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर द्वारा नियमित जाने एवं स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र यह प्रवेश नियम गया की माहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

- ३ निवारी प्रति शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निररत की रील लगाकर अनिवार्य रूप से निररत पत्र दिया जाये।
- ४.३ गोपित पत्रसंख्या सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी विद्यालयों में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से उत्तरता जायेगा तथापि ऐसे प्रकरणों में 31 जुलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ४.४ खानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) को आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। खानान्तरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एक आई आर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त तिथि की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से व्यवन पत्र लिया जाये।
- ४.५ नियमित विद्यालय के प्रावार्य स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोडफोड आदि में संलग्न है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को रीलवन्ड लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्रावार्य को प्राप्त करने जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- ४.६ छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार “राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत सतिक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।” का पालन किया जाए।
- ५ प्रवेश की पात्रता :-
- ५.१ निवारी एवं अईकारी परीक्षा :-
- (i) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवारी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संवालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी, जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्तारपत्रों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपराक्तानुसार प्रवेश दने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होन पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त वीड़े एवं झाईनश परंदा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
  - (ii) संघर्ष विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से कानूनी परंदा उत्तीर्ण आवेदकों को ही गहाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
  - (iii) आन्ध्रप्रदेशनुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदकों को प्रवेश प्रदान किया जाए।

- 52 स्नातक रसायन नियमित प्रवेश :-

  - १०१-१०२ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश भिन्न वास्तविक वीएससी (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी नी संकाय से उत्तीर्ण एवं प्रवेश की पात्रता होगी।
  - १०३ स्नातक रसायन प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों क्षमाशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय रसायन पाठ्यक्रम की पात्रता नहीं होगी।

53 स्नातकोत्तर रसायन नियमित प्रवेश :-

  - १०४ वी.कोम्प/वी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/वी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कुण्डली/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विज्ञान की वीएससी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एसा-सी/एम.ए-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - १०५ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - १०६ स्नातकोत्तर कठीनां छतु एटी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-  
१. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों के प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।  
२. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में एटी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियमों के अनुराग पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

54 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

  - १०७ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - १०८ विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
  - १०९ विधि स्नातक प्रथम सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कुण्डली/एल.एल.वी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एल.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगी।

55 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

  - ११०१ स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा ४५% (अनुसूचित वर्गीय/अनुसूचित जाति हेतु ४०%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वांद्र में ५५% अंक (अनुरीचित जाति / अनुपचित जाति)

## रामकृष्ण परीक्षा :-

- ६१ अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक आप सम्मेलन (सी.वी.एस.ई.), इंडियन कौसिल फार सेकेन्डरी एज्युकेशन (एस.ई.सी.एस.ई.) तथा अन्य संस्थाओं के विश्वविद्यालयों/इंटरमीडिएट वोर्ड की 10+2 परीक्षाएँ ग्राह्यामक रूप से मण्डल की 10+2 परीक्षा के रागत्रै मान्य हो प्राचार्य मान्य वोर्ड द्वारा संचयित विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

६२ विभिन्न राज्यों द्वारा विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय रांग (एसीसीएशन अमृगेतारांग) का सदस्य हैं उनकी समर्त परीक्षाएँ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा रामकृष्ण मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संवालित करते हैं, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएँ मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय जनरल आयोग ने इन्हें के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी विश्वविद्यालय अथवा शक्तिग्राहक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केम्प अंतर्राष्ट्रीय अधिकार अथवा छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे राज्यों द्वारा किसी भित्तिगत वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

६३ अन्तर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी करनी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बन्धीय विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

६४ २०१२ में प्राप्त किए गए एनवीईयूएफ (National Vocational Educational Qualifications Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रातिक रूप के पाठ्यक्रमों में वासिन्दा के लिए अन्य रामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाए।

## प्राकृतिक अल्प अनुदान आयोग के अद्वितीय पत्र क्रमांक

1-52/2013(रायसी-एनएसकयूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार

जोरा के अधिकारी ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय सरकारी अहंकारी संस्थाएँ (एनएसक्यूएफ) में गानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कल्पनाएँ शाखीक अहंकारी संस्थाएँ (एनवीईक्यूएफ) में सूचबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण कार्यों का नियमित किया गया है। जेरा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 रुपये तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं। एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र रक्तली शिक्षा के बोत्र से सम्बन्धित हैं। 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसारण में कुछ रक्तल बोर्ड द्वारा छात्रों की प्रतिक्रिया प्रत्यावर्त किये गये और एनवीईक्यूएफ के अन्तर्गत जारी की

## वाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

- 7.1 स्नातिक स्तर, तक वी.ए./वी.कॉम./वी.एस.-सी./वी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लाई जाने से छत्तीरामद के किसी भी विश्वविद्यालय/रवशारी महाविद्यालय रो प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु समक्ष विश्वविद्यालय/स्वशारी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में अनिवार्य ने पछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाना। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीरामद के बाहर रिथ्ट विश्वविद्यालय/रवशारी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अथ विश्वविद्यालय/रवशारी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम/द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष में परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों का उनके हारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रसुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जाना।

7.3 राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की शूली/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उस प्रकार के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से बचित कर दिया जाएगा। अथ राज्य के आवेदकों हारा प्रसुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना जानेवाला है।

7.4 इस एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में राख्यार्थी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा गतिविद्यालय के गृहपूर्व छात्रों को 30 नववर तक, निर्धारित शुल्क लकर मात्र प्रायोगिक कार्य केन्द्र की जानकारी प्राप्त होना दी जा सकती है।

8. अख्यार्थी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अख्यार्थी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :—

8.1 10-12 दिन स्नातिक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कमार्टमेंट) प्राप्त कियी जानीदेवा की अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अख्यार्थी प्रवेश की पात्रता होगी।

- ८१) किसी भी विद्यालय में नियमित दृष्टीयता 48 घण्टियाँ पूरा न करने वाले छात्रों को उनकी कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं।
- ८२) नियमित विद्यार्थी ७ से खण्ड १ एवं २ के आवधकों का अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं। इन विद्यालयों में अपूर्ण दृष्टि पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र, छात्राओं का अस्थायी प्रवेश नहीं। इन विद्यालयों में पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्राप्त के क्षम्य में नहीं दिया जाता।
- प्रवेश हेतु अद्वितीय :**
- ८३) किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश अवश्य छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पूर्ण नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं। उन विद्यालयों में पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रत्यापन नहीं दिया जाता। नियमित प्रवेश हेतु अगह नहीं गाना जावेगा, उस गाने के बूल रथ्यानात्मण प्रमाणित हो। २०१५-१६ विद्यार्थी प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं दिया जाता के आधार पर १९९५-९६ विद्यार्थी दिया जावेगा।
- ८४) विद्यालय विद्यालय में चालान प्ररुत्त किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रवेश को ही परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दूसरों के बगोर आरप हो/ वंतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हो। ऐसे दूसरे छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं।
- ८५) विद्यालय में बीडफोड करने और महाविद्यालय की संपत्ति का नष्ट करने वाले वर्गीय विद्यार्थी छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत दूसरे दूसरे विद्यार्थी द्वारा दूसरे छात्र छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय विद्यालय में प्रवेश न दिया जावेगा।
- प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-**
- ८६) सरकार के प्रधान वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वद्वे/प्रथम रोमेरटर में 27 वर्ष वाले विद्युत के अवधकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवधकों के वर्ष के दूसरे जूलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रवेश हेतु नियमित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मात्र की जाएगी।
- ८७) विद्यार्थी का वर्कने किसी भी सभ्य सरकार/पार्ट सरकार के मत्रालय/कार्यालय के दूसरे विद्युत द्वारा नियमित सरस्थाओं द्वारा प्राप्तोंनित व अनुशासित प्रत्याशियों भारत के दूसरे विद्युत अधिकारी व अध्यक्षा के अध्यक्षा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशासित विदेश से अध्ययन करने वाले विद्युत अधिकारी विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पगड़रोट पर अधिकारी विद्युत अधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- ८८) विद्यालय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्राप्तान्तर समाप्त किया जाता है।

- (iii) शहरी संकाय में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्नातकों प्रथम संग्रहालय में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पाठ्यक्रम।
- (iv) पिंडि संकाय को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा भूमिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त 3 वर्षों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पुण्यसंग्रहालय/शासकीय राजाराजे कर्मचारी की उराई देनिक कार्य की उलगत वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। देनिक कर्तृत्व अनुभवी उलगत वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोजित बोधार्थ पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।
- 9.6 निरीय संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों का पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-
- (i) अलवा स्थानी से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश नियानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।
- (ii) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं उत्तीर्ण तो अधिकार जीड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
- (iii) नियमित संकाय प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान विश्वविद्यालय द्वारा नियानुसार सापेक्षण्डों के अनुसार होगी।
- 10.1 अनावृत्ति एवं आराध्यता अंकों के लिये अलग अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-
- 11.1 नियमित संकाय स्नातकोत्तर विविध कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा नियमित गूणपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
- 11.2 स्नातक स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में नियमित उत्तीर्ण गूणपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायीयों के क्रम में होगा।
- 11.3 नियमित संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एव्हीगेट प्राप्त अलग अंकों की प्राथमिकता का आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।
- 11.4 आवेदक द्वारा अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके अलावा उल्लिखित जगत में रखने या आराध्यता के अन्य जिले के सामीपरथ स्थानों पर स्नातकोत्तर के अधीनियमित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसो आवेदन जिलों वर्गीकरण के बाहर हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राकार्य द्वारा नियमित जिलों की सीमा से लग अन्य जिलों के सामीपरथ स्थानों के आवेदक प्रायोगिकता द्वारा प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में फैला

119. अन्वेषण की सुरक्षा नहीं होने पर उन्हे गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावग़। स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम में आने पर पूर प्रदेश के छात्रों का पूर प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होती।
120. उन्नीसवें अधिकारी प्राकाशन संशारी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किंतु एक विधि अधिकारी भवित्व में उच्चों विद्यार्थी का अन्य विषय की रानीतीकौर्तर कक्षा में प्रवासीविद्यालय में रहने रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।
121. आरक्षण—छत्तीरामगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-
122. 1) इनके शोषणिक सब में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किंतु शोषणिक सख्ता में इन विधिक अनुच्छेदों से होगा, अर्थात् :-
- (1) अध्ययन या सकाय को प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से बत्तीरा प्रतिशेष जनुरायेत जनजातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (2) अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से बाहर प्रतिशेष जनुरायेत जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (3) अध्ययन या सकाय को प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञाप संख्या में से चौदह प्रतिशेष सीट अन्य पिछड़ वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी।
  - (4) अनुरायेत जातियों के लिए आरक्षित सोटे पात्र विद्यार्थियों का अनुपलब्धता के कारण अतिम तिथि(यो) पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुरायेत जातियों के लिए आरक्षित सोटे पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।
  - (5) अनुरायेत जाति के मुकेगानी परतुक में निर्दिष्ट व्यवरथा के पश्चात् भी जहाँ खण्ड (क) तथा (ख) के अधीन आरक्षित सोटे अतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुरायेत विद्यार्थी से भरा जाएगा।
- 2) अन्वेषण के 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षित विवर (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
- 3) अन्वेषण व्यक्तियों, गाहलाओं, भूतपूर्व कार्मिकों / भूतपूर्व सनिक, रवतत्रता सम्बन्धियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सबध में क्षेत्रिक आरक्षण विवरण ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम द्वारा जनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन व्याख्याति उच्चाधिकार आरक्षण के भीतर होगा।
123. स्वतंत्रता समाम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
124. स्वतंत्रता सेनानियों के आपेक्षियों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।
125. जनरायेत श्रमिकों को कई उमोदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रमिकों औपर अन्वेषण में नियमनुसार गेरिट रूपी में रखा जाता है, तो आरक्षित श्रमिकों की सीधा अनुरायित रहने परन्तु यदि एसा विद्यार्थी किंतु संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संघर्षकों की सीधा

- किए गए हैं। समर्प के बहु सीधे उस आरक्षित श्रेणी में यांत्री जावेगी। शेष सर्वर्ग का नहीं कहा जायेगा।
- 12.6 अंतिम रूपान के प्रतिशत 1-2 से कम आवा है तो आरक्षित रणन उपलब्ध नहीं होता।
- 12.7 अंतिम रूपान के प्रतिशत 1-2 से कम आवा है तो आरक्षित रणन की संख्या एक होगी। 1-2 प्रतिशत पर एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित रणन की संख्या एक होगी।
- 12.8 अमु व अमु विश्वासीयों का आश्रितों को 5 प्रतिशत तक रोट दृष्टि कर प्रवेश दिया जाना चाहिए लेकिन 10 प्रतिशत की छह प्रदान की जाएगी।
- 12.9 अम्य लम्य और शान द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायें।
- 12.10 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के नियम अधिनीत रहेगा।
- 12.11 केंद्रीय विभाग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक 400/2012 निश्चल लीगल रार्विरोस अथोरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि – direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments.” का कड़ाई से पालन किया जाए।
- 13 अधिगार :
- अधिगार यात्रा गुणानुभव भित्तिरण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इस अधिगार नहीं किया जायेगा। अहंकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिगार होना। अधिगार हेतु रामरत् प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य अधिकार हेतु विवार नहीं किया जायेगा। एक से अधिक अधिगार प्राप्त होने पर मात्र सर्वानुभव ही दिय जाएगा।
- 13.1 एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / रकाउटर्स  
रकाउटर्स शब्द को रकाउटर्स/गाइडर्स/रेंजर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जावे।
- (a) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. “ए” स्ट्रिफिक्ट 02 प्रतिशत
  - (b) एन.एस.एस. / एन.सी.सी. “बी” स्ट्रिफिक्ट 03 प्रतिशत  
या अधिगार सापान उत्तीर्ण रकाउटर्स
  - (c) “एन.सी.सी.फिक्ट” या तृतीय सीपान उत्तीर्ण रकाउटर्स 04 प्रतिशत
  - (d) राज्य राजीय संवालनालयोंन एन.सी.सी. प्रतियोगिता 04 प्रतिशत  
में यांत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को
  - (e) नई दिल्ली के गणतन्त्र दिक्षा परेड में छत्तीसगढ़  
के एन.सी.सी. / एन.एस.एस. कंटिङ्योन्स में भाग लगे  
वाले विद्यार्थी को 05 प्रतिशत
  - (f) नई दिल्ली रकाउटर्स 05 प्रतिशत
  - (g) राज्यग्रन्थालय रकाउटर्स 10 प्रतिशत

133.	संवाद विधि स्थान के मध्य यूथ प्रकरान्ति पायाम् रा मान् लभते गते करने एवं शुरीलो-एवं प्रसारणो के लिए क्षमागत एवं प्रकारा करने वाले कंडेन का अन्तरीष्ट्रीय क्षमागत एवं विद्यालय क्षमागत स्थान वाले विद्यार्थ्यो को	15 प्रतिशत
134.	संवाद विधि स्थान क्षमागत स्थान वाले विद्यार्थ्यो को संवादकाली नम् वाले वाले विद्यार्थ्यो में प्रतिशत का पर	10 प्रतिशत
135.	संवादकालीन साहित्यिक/सार्वकृतिक/विविज/रूपांकन प्रतियोगिताएः (1) संवाद विधि स्थान क्षमागत स्थान वाले विद्यार्थ्यो इत्यादि जिल्ला/राज्यां रत्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अतर संभा वकाल प्रतियोगिता में (2) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त ठीम के प्रत्येक सदस्य को 02 प्रतिशत (3) अवकाशत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 04 प्रतिशत (2) उपर्युक्त कंडेनका 13.3 (1) में उल्लेखित विद्याम्/संवादकालीन द्वारा आ योजित स्थान वाले विद्यार्थ्यो इत्यादि विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अन्तर जातीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा आ योजित स्थान वाले विद्यार्थ्यो इत्यादि विद्यालय संघ एआईयू द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में (4) प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त ठीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिशत (5) व्याकाशत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिशत (6) संवाद विधि का प्रतियोगितव करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत (7) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संवाद विधि का प्रतियोगितव करने वाले भारत सरकार जिल्ला/जिल्ला राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में (8) अवकाशत प्रतियोगिता में ग्रथम्, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले का 15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
136.	प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त ठीम के सदस्य का 12 प्रतिशत व्याकाशत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले का 10 प्रतिशत संवाद विधि का प्रतियोगितव करने वाले प्रतियोगी का 10 प्रतिशत भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संवाद विधि का प्रतियोगितव करने वाले भारत सरकार जिल्ला/जिल्ला राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
137.	संवाद विधि अथवा तृतीय स्थान अविभास करने वालों ठीम के सदस्य का 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
138.	संवाद विधि अथवा तृतीय स्थान अविभास करने वालों ठीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
139.	संवाद विधि अथवा तृतीय स्थान अविभास करने वालों ठीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
140.	संवाद विधि अथवा तृतीय स्थान अविभास करने वालों ठीम के सदस्यों को 10 प्रतिशत	10 प्रतिशत

- (3) अमृत रसों के विशेषाधितों तथा उनके आश्रितों को  
 (4) विशेष प्रोत्साहन :-

विद्यालय विद्यार्थी एवं शिक्षकों के इन सभासभाओं विवरण का प्रतिबिन्दी दर्शाते हैं। इन सभाओं के अधीन राज्य राज्य के विवेचन करने वाले आवागमन/एशियाड/सोटुर्स आदि दूसरे द्वारा राज्य एवं अवशेष उपर आयोजित खल प्रतियोगिता एवं विद्यालयों के बगेर युवाओं के आगामी शिक्षा सब में उन कक्षाओं में रीच दिया जाता है। इनकी दल प्रवर्ती है कि:

१८ अप्रैल के प्रातः वर्षा को संचालित रूप से एक कल्पना छविरामद शासन की अधिकारियत किया गया हो। पुर्व

२ यह सुधारों के लिए उन्हीं अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अभ्यासेद्य गणितावधारण में प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी दौर प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

५०६ इसी तरीके में प्रवेश हतु स्वयं सत्तर के पिछले चार कांगड़ीक सत्र तक के प्रमाण-पत्र राजातकोत्तर राजा या उनके कर्मण तथा में प्रवेश हतु विभाग तीन कांगड़ीक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हतु लाया जायगा। राजातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं राजातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हतु पूर्व लाये जाना जाएगा एवं अधिभार हतु मान्य होंगे।

१४ संकाय / विषय / ग्रुप परिवर्तन :-

सभी दूसरे विद्यालयों का अधिकारी पश्चात् राजकाय/विषय/मुफ परिवर्तन करने प्रवृत्त  
प्राप्ति वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका मुण्णानुक्रम निर्धारित  
किया गया। अधिकारी द्वारे दुष्टे प्राप्तांकों पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर  
द्वारा दी गई एक वार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/मुफ परिवर्तन  
में अनुबंध महाविद्यालय के प्राप्तांक द्वारा 30 रिंटावर तक या विलाप से गुरुत्व पश्चात् पारणाम  
अनुबंध अधिकारी 22 मे उल्लिखित प्रवेश की अंतिम दिनी से 15 दिनों तक ही दी जायेगी।  
अनुबंध महाविद्यालय को देय होगी जिनके प्राप्तांक संवाधित विषय/संकाय की मूल  
प्राप्तांक द्वारा दी गई अंतिम प्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

कलाकृति का विद्यालय में शुभ्रवरणी के शाखा छात्रों को वहाँ के लिये प्रवेश दिया जायगा। अपूर्ण रूप जगत् की स्थिति में शुभ्रवरणीजर की अनुशासा पर नियमित अध्ययन का अधिकारम् 4 वर्ष कर सकेगा। छात्र नियोजित आवेदन पत्र में आवदन की जांच के बाद नियोजित शुल्क जगा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जाएगा। छात्र के लिये रांगधित विश्वविद्यालय द्वारा पीएच. डी. निर्देशन देते प्राचीनिकालय के अधिकारी द्वारा नियोजित नियमों के अनुसर ही अध्ययन का अवकाश दिया जाएगा। अवकाश दिया जाएगा।

कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र रथानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अप्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अप्रेषित करेंगे।

#### 16 विशेष :-

- 16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- 16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपरिथित रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए रस्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अप्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।



(डॉ. किरण गजपाल)  
संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय  
नया रायपुर (छ.ग.)

